पूंजीगत प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010	बजट 2010-2011	संशोधित 2010-2011	बजट 2011-2012
ऋण भिन्न प्राप्तियां						
1.	***ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां***					
1.01.	राज्य सरकारें					
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	8552.44	4816.53	8521.57	9305.05
1.01.02.	वसूलियां	7601	-3350.81	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-राज्य सरकारें			*5201.63*	*3816.53*	*7521.57*	*8305.05*
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)	7602	111.96	107.36	111.26	111.31
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	331.46	261.97	345.17	324.06
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	3736.64	11438.01	16813.00	16769.58
1.04.02.	वसूलियां	9001	-769.19	-10495.00	-15790.00	-10490.00
निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम, सांविधिक निकाय आदि			*2967.45*	*943.01*	*1023.00*	*6279.58*
निवल-ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां			*8612.50*	*5128.87*	*9001.00*	*15020.00*
2.	***विविध पूंजी प्राप्तियां***	4000	24581.43	40000.00	22744.00	40000.00
जोड़ - ऋण भिन्न प्राप्तियां			**33193.93**	**45128.87**	**31745**	**55020**
ऋण प्राप्तियां						
3.	***उधार***					
3.01.	बाजार ऋण					
3.01.01.	सकल ऋण	6001	451000.00	457143.06	447000.00	417128.00
3.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-52575.64	-112133.06	-111586.25	-74128.00
निवल			*398424.36*	*345010.00*	*335413.75*	*343000.00*
3.02.	अल्प आवधिक उधार					
3.02.01.	14 दिवसीय राजकोषीय बिल					
3.02.01.01.	सकल उधार	6001	2369194.07	2655760.00	2145209.29	2500566.00
3.02.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-2372189.18	-2655760.00	-2151893.00	-2500566.00
निवल			*-2995.11*	*...*	*-6683.71*	*...*
3.02.02.	91 दिवसीय राजकोषीय					
3.02.02.01.	सकल उधार	6001	301503.00	308458.00	275226.09	310244.36
3.02.02.02.	पुनर्भुगतान	6001	-305549.00	-308458.00	-259141.19	-309771.20
निवल			*-4046.00*	*...*	*16084.90*	*473.16*
3.02.03.	182 दिवसीय राजकोष बिल					
3.02.03.01.	सकल उधार	6001	42875.00	45500.00	43300.50	54993.59
3.02.03.02.	पुनर्भुगतान	6001	-41550.00	-45500.00	-42800.00	-50595.00
निवल			*1325.00*	*...*	*500.50*	*4398.59*
3.02.04.	364 दिवसीय राजकोष बिल					
3.02.04.01.	सकल उधार	6001	41497.14	41492.00	41595.45	52609.85
3.02.04.02.	पुनर्भुगतान	6001	-45549.80	-41492.00	-41497.14	-42481.60
निवल			*-4052.66*	*...*	*98.31*	*10128.25*
3.02.05.	नकद प्रबंधन बिल					
3.02.05.01.	सकल उधार	6001	...	...	12000.00	20000.00

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010	बजट 2010-2011	संशोधित 2010-2011	बजट 2011-2012
3.02.05.02.	पुनर्भुगतान	6001	...	...	-12000.00	-20000.00
निवल			...	...	...	...
3.02.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.02.06.01.	सकल उधार	6001	153154.00	191442.00	104701.00	130876.00
3.02.06.02.	पुनर्भुगतान	6001	-153154.00	-191442.00	-104701.00	-130876.00
निवल			...	...	...	...
निवल - अल्प आवधिक उधार			*-9768.77*	...	*10000.00*	*15000.00*
निवल - उधार			*388655.59*	*345010.00*	*345413.75*	*358000.00*
4.	***लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां***					
4.01.	प्राप्तियां	6001	14558.00	14558.00	19083.14	25484.94
4.02.	पुनर्भुगतान	6001	-1302.48	-1302.48	-1302.48	-1302.48
निवल - लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां			*13255.52*	*13255.52*	*17780.66*	*24182.46*
5.	***राज्य भविष्य निधियां***					
5.01.	प्राप्तियां	8009	35175.53	21000.00	30000.00	30000.00
5.02.	संवितरण	8009	-19119.90	-14000.00	-20000.00	-20000.00
निवल - राज्य भविष्य निधियां			*16055.63*	*7000.00*	*10000.00*	*10000.00*
6.	***अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण)***					
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001	-4.70	...	...	...
6.01.02.	संवितरण	6001	-91.91	-71.75	-143.57	-65.09
निवल - राहत बांड			*-96.61*	*-71.75*	*-143.57*	*-65.09*
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	5694.61	5092.00	7345.64	2000.00
6.02.02.	संवितरण	6001	-14372.87	-11404.88	-12942.68	-13052.09
निवल - बचत बांड			*-8678.26*	*-6312.88*	*-5597.04*	*-11052.09*
6.03.	अन्य					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.03.02.	संवितरण	6001	-0.09	-0.65	-0.25	-0.30
निवल - अन्य			*-0.09*	*-0.65*	*-0.25*	*-0.30*
6.04.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
6.04.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	7000.00	7000.00
6.04.02.	संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल - डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईसी)			...	...	*7000.00*	*7000.00*
6.05.	अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र)					
6.05.01.	प्राप्तियां	9002	618749.04	505954.77	519035.85	511699.73
6.05.02.	पुनर्भुगतान	9002	-606536.56	-505798.53	-492735.89	-521389.10
6.05.03.	घटाइए - प्राप्तियां	9002	-10306.33	...	...	...
निवल - अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र)			*1906.15*	*156.24*	*26299.96*	*-9689.37*
6.06.	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान					
6.06.01.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष					
6.06.01.01.	प्राप्तियां	6001	3653.93	...	...	8767.75
6.06.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-2218.00	-0.01	-6882.65	-0.01

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010	बजट 2010-2011	संशोधित 2010-2011	बजट 2011-2012
6.06.01.03.	घटाइए - निवल प्राप्तियां	6001	-3653.93	...	...	-8767.75
निवल			*-2218.00*	*-0.01*	*-6882.65*	*-0.01*
6.06.02.	अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक					
6.06.02.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.02.02.	पुनर्भुगतान	6001	-39.23	-55.20	-88.05	...
निवल			*-39.23*	*-55.20*	*-88.05*	*...*
6.06.03.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.03.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.03.02.	पुनर्भुगतान	6001	...	-0.01	...	...
निवल			*...*	*-0.01*	*...*	*...*
6.06.04.	एशियाई विकास बैंक					
6.06.04.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.04.02.	पुनर्भुगतान	6001	-15.60	-18.00	-15.80	-21.70
निवल			*-15.60*	*-18.00*	*-15.80*	*-21.70*
6.06.05.	अफ्रीकी विकास कोष एवं बैंक					
6.06.05.01.	प्राप्तियां	6001	14.50	...	...	...
6.06.05.02.	पुनर्भुगतान	6001	-8.76	-18.84	-33.41	-37.33
निवल			*5.74*	*-18.84*	*-33.41*	*-37.33*
निवल - अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान			*-2267.09*	*-92.06*	*-7019.91*	*-59.04*
निवल - अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण)			*-9135.90*	*-6321.10*	*20539.19*	*-13865.89*
7.	***विदेशी ऋण***					
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	3988.20	14820.85	13672.56	5229.16
7.01.01.02.	पुनर्भुगतान	6002	-1750.86	-2161.95	-2051.68	-2291.95
निवल			*2237.34*	*12658.90*	*11620.88*	*2937.21*
7.01.02.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	5569.29	4102.82	5792.61	7438.43
7.01.02.02.	पुनर्भुगतान	6002	-3830.16	-4055.35	-3832.15	-4009.55
निवल			*1739.13*	*47.47*	*1960.46*	*3428.88*
7.01.03.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	66.34	165.12	213.74	279.11
7.01.03.02.	पुनर्भुगतान	6002	-50.97	-54.10	-50.45	-51.57
निवल			*15.37*	*111.02*	*163.29*	*227.54*
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	4951.61	5230.36	6440.71	5067.57
7.01.04.02.	पुनर्भुगतान	6002	-607.19	-935.65	-819.59	-946.06
निवल			*4344.42*	*4294.71*	*5621.12*	*4121.51*
7.01.05.	पूर्वी यूरोप समुदाय (सैक)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.01.05.02.	पुनर्भुगतान	6002	-7.40	-7.30	-6.66	-6.63
निवल			*-7.40*	*-7.30*	*-6.66*	*-6.63*

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010	बजट 2010-2011	संशोधित 2010-2011	बजट 2011-2012
7.01.06.	पैट्रोलियम निर्यातक देश संगठन					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002	17.62	...	1.00	15.00
7.01.06.02.	पुनर्भुगतान	6002	-3.95	-8.49	-8.44	-8.31
निवल			*13.67*	*-8.49*	*-7.44*	*6.69*
निवल - बहुपक्षीय			*8342.53*	*17096.31*	*19351.65*	*10715.20*
7.02.	द्विपक्षीय					
7.02.01.	जर्मनी					
7.02.01.01.	प्राप्तियां	6002	476.35	1442.64	747.83	549.80
7.02.01.02.	पुनर्भुगतान	6002	-478.61	-498.66	-406.78	-514.71
निवल			*-2.26*	*943.98*	*341.05*	*35.09*
7.02.02.	फ्रांस					
7.02.02.01.	प्राप्तियां	6002	21.08	...	...	...
7.02.02.02.	पुनर्भुगतान	6002	-251.76	-249.50	-209.13	-202.21
निवल			*-230.68*	*-249.50*	*-209.13*	*-202.21*
7.02.03.	इटली					
7.02.03.01.	प्राप्तियां	6002	...	79.54	0.90	5.58
7.02.03.02.	पुनर्भुगतान	6002	...	...	...	...
निवल			*...*	*79.54*	*0.90*	*5.58*
7.02.04.	जापान					
7.02.04.01.	प्राप्तियां	6002	6158.35	8860.91	6367.71	7550.48
7.02.04.02.	पुनर्भुगतान	6002	-3152.03	-3241.94	-3256.15	-3330.16
निवल			*3006.32*	*5618.97*	*3111.56*	*4220.32*
7.02.05.	स्विटजरलैण्ड					
7.02.05.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02.	पुनर्भुगतान	6002	-3.17	-3.39	-3.22	-3.35
निवल			*-3.17*	*-3.39*	*-3.22*	*-3.35*
7.02.06.	यू.एस.ए.					
7.02.06.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.06.02.	पुनर्भुगतान	6002	-274.51	-218.14	-215.93	-160.92
निवल			*-274.51*	*-218.14*	*-215.93*	*-160.92*
7.02.07.	रुसी फेडेरेशन					
7.02.07.01.	प्राप्तियां	6002	928.36	33.18	710.00	685.00
7.02.07.02.	पुनर्भुगतान	6002	-729.03	-836.86	-823.06	-794.71
निवल			*199.33*	*-803.68*	*-113.06*	*-109.71*
निवल - द्विपक्षीय			*2695.03*	*5367.78*	*2912.17*	*3784.80*
निवल - विदेशी ऋण			*11037.56*	*22464.09*	*22263.82*	*14500.00*
जोड़ - ऋण प्राप्तियां			**419868.4**	**381408.51**	**415997.42**	**392816.57**
8.	***नकद शेष की वापस अपहरण***					
8.01.	प्राप्तियां	9003	...	...	...	20000.00
8.02.	संवितरण	9003	-1385.85	...	-15000.00	...
निवल - नकद शेष का वापस आहरण			*-1385.85*	*...*	*-15000.00*	*20000.00*
9.	***बाजार स्थिरीकरण स्कीम***					
9.01.	प्राप्तियां	6001	...	50000.00	...	20000.00
9.02.	पुनर्भुगतान	6001	-86035.78	-2737.00	-2737.00	...
निवल - बाजार स्थिरीकरण स्कीम			*-86035.78*	*47263.00*	*-2737.00*	*20000.00*
कुल जोड़			***365640.70***	***473800.38***	***430005.42***	***487836.57***

उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2010-11 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2010-11 और बजट अनुमान 2011-12 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 **राज्य सरकारों से वसूलियांः** राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2010-11 में 7521.57 करोड़ रुपए तथा ब.अ. 2011-12 में 8305.05 करोड़ रुपए लगाया गया है। सं.अ. 2010-11 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

1.02 **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियांः** ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगीः** इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल हैं।

2. **विविध पूंजी प्राप्तियां** : सं.अ. 2010-11 में सतलुज जल विद्युत निगम लि., इंजीनियर्स इंडिया लि. कोल इंडिया लि. पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. मैगनीज और इंडिया लि. और भारतीय पोंत परिवहन निगम लि. में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण 22,144.79 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं। सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश निधि" (एनआईएफ) की स्थापना की है जिसमें चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय को सरणीकृत किया जाता है। एनआईएफ में जमा ऐसी निधियों का आहरण तथा उनका उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनःनवीकरण मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के निधिपोषण के भाग के रूप में पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में किया जाएगा। यह व्यवस्था 2011-2012 तक प्रभावी रहेगी। ब.अ. 2011-12 में विभिन्न सीपीएसई में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के जरिए 40000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 में शुरु की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है, जो परिवर्तनीय आधार दर पर विगत तीन नीलामियों में 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के निर्दिष्ट मूल्यों पर अंतर्निहित प्राप्तियों के औसत के रूप में परिकलित की जाती है। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक सांकेतिक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों के संशोधित अनुमान 33543.75 करोड़ रुपए है। 111586.25 करोड़ रुपए की राशि के पुनः भुगतान को हिसाब में लेने पर सकल बाजार उधार का सं.अ. 447000 करोड़ रुपए निर्धारित हुआ है।

वर्ष 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार को निवल बाजार उधारों का अनुमान 343000.00 करोड़ रुपए लगाया गया है। ब.अ. 2011-12 में सकल बाजार उधारों की राशि 417128.00 करोड़ रुपए रखी है जिसमें 74128.00 करोड़ रुपए की अनुसूचित वापसी अदायगी हिसाब में रखी गयी है। 2011-12 में वापसी अदायगियों के ब्यौरे अनुबंध-6 में दिए गए हैं।

विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। प्रतिभूतियों को रुपांतरित कर जारी किए गए विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनःपूंजीकरण बॉण्डों का एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.02 अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां) : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निदेशलाय 4-त्रैमासक क्लैन्डर में अधिसूचित की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुडियां भी जारी करती है।

3.02.05 नकदी प्रबन्धन हुंडियां : नकदी प्रबंधन हुंडिया सरकार के अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलनों को दूर करने के लिए जारी की जाती हैं। नकदी प्रबन्धन हुंडियां 91दिन से कम की परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किए गए बट्टा लिखत हैं और जब आवश्यक हो, तभी जारी की जाती हैं।

4. **राष्ट्रीय लघु बचत निधि लघु बचत योजनाएं** : इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैंः डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के अधीन, वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण निधियों का स्रोत बनते हैं। निवल संग्रह का 5 वर्ष की आस्थागत अवधि और 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर वाली 25 वर्ष की अवधि का केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रह का 80 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। इन प्रतिभूतियों के एनएसएसएफ में उन्मोचन को औसत जी-सेक दरों पर 20 वर्षीय केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में पुर्निवेश किया जाता है, अभिदातां को ब्याज भुगतान और प्रबन्धन की लागत निधि के अधीन व्यय होता है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों पर ब्याज निधि की आय होती है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश से 2006-07 तक संविदाधीन और 2009-10 के अंत में बकाया राज्यों को ऋणों पर 9 प्रतिशत पर पुनर्निधारित किया जाता है। 2007-08 से ऋण 9.5 प्रतिशत पर बने हुए है। एनएसएसएफ के स्रोत और प्रयोज्यता अनुबंध-7क में दर्शाएं गए हैं और एनएसएसएफ के विभिन्न घटक अनुबंध 7ख में दर्शाए गए हैं।

एनएसएसएफ से भारत सरकार की ऋण प्राप्तियां विशेष भारत सरकार प्रतिभूतियों और 20 वर्षीय केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में विशेष केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की उन्मोचन राशि के पुर्निवेश में निवल संग्रह का केन्द्रीय हिस्से के निवेश के मद में हैं अदायगियों में विशेष केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की अदायगी शामिल है।

सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं : सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं, अर्थातःसेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही थीं। दिनांक 10 जुलाई, 2004 से इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत नई जमा राशियां लेना बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 13 सितंबर 2004 को अथवा इसके पश्चात तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इन स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

6.02 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बजत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता हैं। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं।

6.03 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 : 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बॉन्डों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

6.04 डाक विभाग को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम : डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलएफ) की निश्चल निधियों को परिवर्तित करके डाक विभाग को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम।

6.05 अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अतिरिक्त लोक लेखा) : रेलवे प्रारक्षित निधियां रेलवे प्रारक्षित निधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-14 पर देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम व्यय शीर्षों के नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। सं.आ. 2010-11 में निधि में 1471.37 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 6.37 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 14500 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है। वर्ष 2011-12 के दौरान इस निधि में 13.16 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 16023.36 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में 16000 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधिः* इस निधि में सुधारात्मक कार्यो सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में स.अं. 2010-11 में सामान्य राजस्व से 2.51 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 5802.51 करोड़ रुपए का होगा। 2010-2011 में निधि से 5735.21 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। 2011-2012 के संबंध में, 7104.34 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें ब्याज के मद में 4.34 करोड़ रुपए शामिल है। 7100.00 करोड़ रुपए की निकासी होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यो का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यो के खर्चो को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। सं.अ. 2010-11 के दौरान रेलवे विकास निधि को 2360.58 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 2358.00 करोड़ रुपए अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 2.58 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होंगे। वर्ष 2010-2011 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 2305.50 करोड़ रुपए हैं। ब.अं. 2011-12 के दौरान निधि में क्रेडिट 2404.92 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ब्याज के मद में 4.92 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान 2400.00 करोड़ रुपए की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि के प्रभार्य कार्यों के लिए होंगी।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* इसे 1992-93 में इसलिए सृजित किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। सं.अ. 2010-11 में निधि में जमा राशि 1844.75 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें निधि शेष पर सामान्य राजस्व द्वारा देय 98.24 करोड़ रुपए शामिल है। जबकि निधि से 3348.15 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। ब.अ. 2011-12 में, इस निधि में 2889.25 करोड रुपए जमा होगा। जिसमें 30.48 करोड़ रुपए ब्याज से प्राप्त होना अनुमानित है तथा जो निधि शेष पर अर्जित होगा जबकि आहरण 3700.00 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रांसिंग पर रेलवे उपरि/अंडर सेतु के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह निर्ब्याज निधि है। इस निधि में 2010-2011 में जमा राशि 935.42 करोड़ रुपए रखी गई है। जबकि निधि से 1700.00 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। ब.अ. 2011-12 में 1034.24 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 2000.00 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

6.06 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : यह अनुमान (क) भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, से संबद्ध हैं। प्रत्येक संस्थाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6.06.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): अंतराराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत के अभिदानों के प्रति जारी विशेष प्रतिभूतियों और विशेष आहरण अधिकारों के प्रयोग वाले कतिपय लेनदेनों से संबंधित अनुमान (करोड़ रुपए) आईएमएफ में भारत की आसन्न कोटा वृद्धि में आंशिक रुप से अभिदान करने के लिए मूल्य के अनुरक्षण देयताओं के प्रति; और वित्तीय लेनदेन योजना के अंतर्गत लेनदेनों के क्रय के प्रति हैं। कोष के करार-अनुच्छेद के 'मूल्य अनुरक्षण' उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डीआर.) के रूप में बनाए रखना जरुरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है और इस प्रावधान के अनुसरण में सदस्य देश की मुद्रा में इस निधि में धारिता प्रत्येक वर्ष समायोजित की जाती है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के एसडीआर आबंटन में भागीदार है। एसडीआर का प्रयोग प्रभारों के भुगतान और अतिरिक्त अभिदान के भुगतान सहित पुनःक्रय देयताओं जैसे लेनदेनों में किया जाता है। एफटीपी के अंतर्गत क्रय और पुनःक्रय लेनदेनों को लोक लेखा में "विशेष आहरण अधिकार" शीर्ष के नामे डाला जाता है।/में जमा किया जाता है। एसडीआर के रुप में आईएमएफ को किए गए भुगतानों को इस शीर्ष के जमा उभय पक्षी संगत व्यय शीर्ष के नामे डाला जाता है। इसी प्रकार एसडीआर के रुप में उगाही गई प्राप्तियों को इस शीर्ष के प्रति आहरण द्वारा संगत प्राप्ति शीर्षों में जमा किया जाता है।

नए एसडीआर आबंटन वर्ष 1981 से भारत को एसडीआर का निवल संचयी आवंटन 681.2 मिलियन एसडीआर बना हुआ था। तथापि, आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को 28 अगस्त, 2009 को आईएमएफ में उनके विद्यमान कोटे के अनुपात में लगभग 250 बिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष एसडीआर का आवंटन किया गया।। इसके परिणामस्वरुप, भारत को कुल 3,082.5 मिलियन एसडीआर का आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आईएमएफ करार अनुच्छेद में चौथे संशोधन (जिसमें एसडीआर के एक विशेष एक-बारगी आवंटन की व्यवस्था थी) का अनुमोदन किया गया। तदनुसार आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को 9 सितम्बर, 2009 को विशेष आवंटन किया गया। इसके परिणामस्वरुप भारत को कुल 241.6 मिलियन एसडीआर का आवंटन किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत को कुल 3,297.1 मिलियन एसडीआर (3082.5 मिलियन एसडीआर जमा 214.6 मिलियन एसडीआर) का आवंटन किया गया।

परिणामस्वरुप, आईएमएफ द्वारा भारत को निवल संचयी आवंटन अब 3,978.26 मिलियन एसडीआर बैठता है। 3,978.26 मिलियन एसडीआर के इस निवल संचयी आवंटन में से, भारत के पास 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार 3,297.07 मिलियन एसडीआर हैं, जो इसके निवल संचयी आवंटन का 82.88 प्रतिशत है।

6.06.02 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण (एमओवी) देयताओं के विशेष डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ 2011-12 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2010-11 में 55.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तथापि 32.85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी हेतु आईबीआरडी में मांग की गयी थी। सं.अ. 2010-11 में 88.05 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

6.06.03 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): सं.अ. 2010-11 और ब.अ. 2011-12 में आईडीए को कोई भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है।

6.06.04 एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्चे को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2010-11 में 18.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। संशोधित अनुमान 2010-11 और बजट अनुमान 2011-2012 के लिए क्रमशः 15.80 करोड़ रुपए और 21.17 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

6.06.05 अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): एएफडीएफ और एएफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तो पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत निधि और बैंक दोनों संस्थाओं में शामिल हो गया है। एएफडीबी के मामले में, अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक की पांचवीं सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के अंतर्गत भारत का अभिदान 1351112 अमरीकी डालर बैठता है जिसका भुगतान 1,68,889 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की आठ समान किश्तों में किया जाना था। जीसीआई-V के लिए पहली किश्त सितम्बर, 2000 में अदा की गई थी और 8वीं किश्त का भुगतान 2007 में किया गया था। अफ्रीकी विकास निधि के मामले में, एडीएफ-x में भारत का अंशदान, तीसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान मई, 2007 में किया गया था। अब अफ्रीकी विकास निधि की एडीएफ-XI पुनःपूर्ति आरंभ हो चुकी है और एडीएफ-XI में भारत का अंशदान 40.17 करोड़ रुपए बैठता है जो 2008 से 2010 के दौरान 13.39 करोड़ रुपए प्रत्येक की तीन समान वार्षिक किस्तों में देय होगा। स.अ. 2010-11 में 13.39 करोड़ रुपए और ब.अ. 2011-12 में 18.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

7. विदेशी ऋण : बजट 2011-12 में सकल प्राप्तियां 26820.13 करोड़ रुपए और वापसी अदायगी 12320.13 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके फलस्वरुप निवल विदेशी ऋण 14,500 करोड़ रुपए होगा। विस्तृत ब्यौरा इस दस्तावेज के पूंजी प्राप्तियां भाग में दिया गया है।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2011-12 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां 10,715.20 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2011-12 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, यूएसए और रुसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां 3,784.80 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

8. नकद शेष का वापस आहरण : 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटे की जरुरत की वित्तव्यवस्था पूरी करने के लिए नकद वापस आहरण 20,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वापस आहरण 2010-11 के दौरान, 15,000 करोड़ रुपए के नकद के अनुमानों पर आधारित है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रुप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाने में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। 2011-12 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां 20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।